16.11.17 प्रा-पत्र राज. पेश हुआ। वकील
प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की
ओर से श्री हेमराज गुप्ता एड. ने वकालतनामा
पेश किया, जो शामिल मिसल हो। प्रा-पत्र
राज. पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी
गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन
किया कि प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन
था जिसमें आगामी पेशी दिनांक 07.07.17
नियत थी। अपीलांटस के अधिवक्ता अन्य
न्यायालय में व्यस्त होने के कारण न्यायालय
हाजा द्वारा परवाना आवाजें दिलाये जाने
पर उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी स्वयं
अधिवक्ता की गैरहाजरी जानबूझ कर
नहीं हुयी है। न्यायहित में आदेश दिनांक 07.07.17
को निरस्त किया जाकर, प्रकरण पुनः नम्बर
लिया जाकर अपील का निर्णय मेरिट पर
किया जाना न्यायसंगत है। अतः न्यायालय
हाजा से अनुरोध है कि प्रा-पत्र बाबत बहाली
स्वीकार किया जाकर, न्यायालय हाजा के आदेश
दिनांक 07.7.17 को निरस्त किया जावे एवं अपील
को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश
प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रा-पत्र
में निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 07.7.17
को परवाना आवाजें दिलाये जाने पर प्रार्थी
एवम् उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए

25/17/ अपील० रामनिवास बनाम केसरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2017/00082 Rs. 5 ...	
	श्री गिरीश शर्मा श्री हेमराज गुप्ता	
लगातार	खालिस अपील को अदम हाजरी उपरान्त अदम पैरवी में विधि संगत खारिज की है। न्यायालय से अनुरोध है कि प्रा-पत्र वापसी स्वीकार किया जावे। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया उपरान्त प्रा-पत्र वाप० व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रस्तुत प्रा-पत्र वापसी को स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र वापसी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 07.7.17 को निरस्त किया जाता है उपरान्त अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा. पत्र वापसी फैसलानुसार होकर नम्बर से कम हो।	

Scanned by CamScanner